UPLL010029192026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, ललितपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1004/2026

मोहम्मद आरिफ उर्फ रोहित उम्र करीब 26 वर्ष, पुत्र असलम खान, निवासी मुहल्ला चौबयाना, थाना कोतवाली ललितपुर, जनपद ललितपुर।

–––––आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

स्टेट ऑफ यू.पी. द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।

–––––विपक्षी।

मु०अ०सं० 724/2026
धारा 3/25 आयुध अधिनियम,
थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर।

दिनाँकः 10.07.2026

आवेदक/अभियुक्त मो० आरिफ उर्फ रोहित की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 724/2026, धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1004/2026 प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं।

2. आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र में कहा गया है कि यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। उसकी ओर से कोई जमानत प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में प्रस्तुत नहीं किया है, न विचाराधीन है और ना ही निरस्त हुआ है। उक्त तथ्यों का कोई खण्डन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है।

3. मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्क सुने तथा केस डायरी का परिशीलन किया।

4. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 30.06.2026 को उपनिरीक्षक आलोक सिंह मय हमराहियान वास्ते रोकथाम जुर्म व चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति चौकी क्षेत्र में मामूर थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक व्यक्ति, जिसके पास देशी तमंचा है, वह देवगढ़ ओवर ब्रिज के नीचे किसी घटना को अंजाम दे सकता है। सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारियों को जरिए दूरभाष अवगत कराया गया और मौजूद पुलिस टीम मुखबिर के बताये गये स्थान की ओर चल दी। पुलिस टीम जैसे ही चण्डी माता मंदिर की तरफ से रेलवे डिपो के आगे पहुँची तो मुखबिर ने पोल के पास खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि यह वही व्यक्ति है। पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर भागने का मौका दिये बिना उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम मो० आरिफ उर्फ रोहित बताया तथा जामा तलाशी में उसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर नाजायज, जिसकी नाल में एक कारतूस खोखा फंसा था, बरामद हुआ। उसके पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद मोबाइल

Digitally signed by ASHOK KUMAR SINGH
Date: 2026.07.10 17:04:49 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फोन व जेब से एक हजार रुपये भी बरामद हुए। पूछताछ करने पर उक्त व्यक्ति ने बताया कि यह तमंचा उसका ही है। वह जुआ खेलता है। जुए में जीते हुए रुपये कोई छीन न ले, इसलिए तमंचा अपने पास रखा हुआ था। उससे तमंचा रखने का लाईसेंस तलब किया गया तो दिखाने से कासिर रहा। अभियुक्त को उसके जुर्म से अवगत कराते हुए उसे हिरासत में लिया गया। बरामद तमंचा व अन्य सामान को सील कर फर्द मौके पर तैयार की गयी।

5. वादी मुकदमा उपनिरीक्षक आलोक सिंह द्वारा प्रस्तुत फर्द बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध मुकामी थाने पर अपराध संख्या 724/2026 पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत किया गया। **प्रकरण की विवेचना प्रचलित है।**

6. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक बेगुनाह एवं बेकसूर है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उसे पुलिस द्वारा फर्जी कारगुजारी दिखाते हुए झूठा फंसा दिया गया है। उससे फर्जी बरामदगी दर्शित की गयी है। बरामदगी का जनता का कोई साक्षी नहीं है। वह मजदूर पेशा व्यक्ति है और मजदूरी हेतु अपने घर से जा रहा था। तभी पुलिस द्वारा बिना कारण बताये उसे थाने पर बैठा लिया गया और इस मुकदमे में झूठा फंसा दिया है। वह दिनाँक 01.07.2026 से जेल में निरुद्ध है। उसके भागने अथवा फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से अवैध 315 बोर का तमंचा, जिसमें खोखा कारतूस फंसा था, बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त का अपहरण, हत्या जैसे मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है।

8. केस डायरी के परिशीलन से ज्ञात होता है कि घटना की प्राथमिकी फर्द बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर आवेदक/अभियुक्त मो० आरिफ के विरुद्ध नामजद पंजीकृत करायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त पर अवैध असलाह तमंचा 315 बोर, जिसमें खोखा कारतूस फंसा था, अपने कब्जे में रखने का आरोप है।

9. आवेदक/अभियुक्त का इस मुकदमे के अतिरिक्त निम्न मुकदमो का आपराधिक इतिहास बताया गया है–

1. **मुकदमा अपराध संख्या 410/2018, धारा 363, 366 भा.द.सं., थाना कोतवाली ललितपुर,**
2. **मुकदमा अपराध संख्या 1280/2018, धारा 147, 323, 452, 504, 506 भा.द.सं., थाना कोतवाली ललितपुर,**
3. **मुकदमा अपराध संख्या 186/2021, धारा 323, 504, 506 भा.द.सं., थाना कोतवाली ललितपुर,**
4. **मुकदमा अपराध संख्या 499/2021 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली ललितपुर,**
5. **मुकदमा अपराध संख्या 912, धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम, थाना कोतवाली ललितपुर**
6. **मुकदमा अपराध संख्या 63/2016, धारा 302, 34, 394, 411 भा.द.सं., थाना तालबेहट,**

10. आवेदक/अभियुक्त के उक्त आपराधिक इतिहास के परिशीलन से ज्ञात होता

है कि **आवेदक एक अभ्यस्त अपराधी है और उसके द्वारा नियमित अंतराल में हत्या, अपहरण, बल्वा, मारपीट व आयुध अधिनियम के अपराध किये गये हैं। आवेदक के आचरण से यह भी ज्ञात होता है कि वह जमानत पर छूटने के उपरान्त, पूर्व में प्रदत्त जमानत का दुरुपयोग करते हुए हत्या व अपहरण जैसे गंभीर प्रकृति के अपराधों तथा आयुध अधिनियम के समान प्रकृति के अपराधों में शामिल रहा है और यदि उसे इस बार जमानत दी गयी तो उसके गंभीर प्रकृति के अपराधों में संलिप्त होने की युक्ति–युक्त संभावना है।**

11. अतः उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अपराध की गंभीरता, **आवेदक/अभियुक्त के हत्या व अपहरण जैसे गंभीर अपराधों के आपराधिक इतिहास** के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना इस स्तर पर जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 724/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना कोतवाली ललितपुर, जिला ललितपुर के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त मो० आरिफ उर्फ रोहित की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 1004/2026 निरस्त किया जाता है।

दिनाँकः 10.07.2026

(अशोक कुमार सिंह),
सत्र न्यायाधीश,
ललितपुर।